

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र जोशी
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिला अधिकारी, उत्तराखण्ड।

29

सामान्य प्रशासन विभाग, सूचना का अधिकार प्रकोष।

देहरादून: दिनांक जनवरी, 2008

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट को प्रकटन करने के सम्बन्ध में:

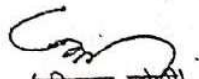
महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों को प्रकट करने के लिए कई अनुरोधपत्र प्राप्त होते हैं। इस सम्बन्ध में स्पष्ट नीति न होने से ऐसे अनुरोधों पर लोक सूचना अधिकारी अपने-अपने विचार से निर्णय ले रहे हैं। इससे इस विषय पर लोक प्राधिकारियों के विचारों में समभाव की कमी पाई गई है। राज्य सूचना आयोग ने भी इस विषय पर शासन स्तर पर एक समान नीति निर्धारित करने को कहा है।

इस सम्बन्ध में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा केन्द्र सरकार के लोक प्राधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए एक कार्यालय ज्ञापन निर्गत किया है (प्रतिलिपि संलग्न)। संक्षेप में इसमें कहा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (अ) में यह व्यवस्था है कि किसी भी नागरिक को ऐसी जानकारी प्रदान करने की कोई बाध्यता नहीं है जो व्यक्तिगत जानकारी से सम्बन्धित हो और जिसके प्रकटन का किसी सार्वजनिक कार्यकलाप अथवा हित से कोई सम्बन्ध नहीं हो अथवा जो व्यक्ति की गोपनीयता को अवांछित रूप से भंग करे। वार्षिक गोपनीयता रिपोर्ट, जैसा कि भाग 2 में उल्लेख है एक गोपनीय दस्तावेज है, जिसके प्रकटन को कार्यालय गोपनीय अधिनियम 1923 द्वारा संरक्षित किया गया है, जिसका अभी पूर्णतया अधिक्रमण नहीं हुआ है। अतः लोक प्राधिकारी किसी कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट उसी कर्मचारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं हैं। यदि ऐसा महसूस किया जाता है कि किसी कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के प्रकटन में जनहित संरक्षित हित से अधिक महत्वपूर्ण है तो वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के प्रकटन का निर्णय 'सक्षम अधिकारी' के अनुमोदन से किया जाना चाहिए। इस मामले में सक्षम अधिकारी का चयन सम्बन्धित लोक प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस विषय पर उत्तराखण्ड शासन की भी यही नीति है। अतः कर्मचारियों के वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रकटन सम्बन्धी अनुरोधों पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि


(हरिश्चन्द्र जोशी)
सचिव

संख्या: 891/04/XXXI(13)G/सू0अ0प्र0/2007 तद दिनांकित।

प्रतिलिपि सूचनार्थ